न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 03/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. भंवरसिंह पुत्र श्री मगसिंह, जाति-राजपूत उम्र 37 वर्ष, (**एफबीओ/विक्रेता**) मैसर्स दी स्वाद रेस्टोरेन्ट, कबूतरों का चौक, माताजी का मन्दिर, ओसियां जिला जोधपुर निवासी करणोतों की ढाणी, ढेलाणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी श्री भंवरसिंह स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15.02.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18..07.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स दी स्वाद रेस्टोरेन्ट, कबूतरों का चौक, माताजी का मन्दिर, ओसियां जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री भंवरसिंह पुत्र श्री मगसिंह जाति राजपूत (एफबीओ/मालिक), निवासी करणोतों की ढाणी, ढेलाणा, तहसील लोहावट जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु तैयार सब्जी, पनीर पराण्ठा, पनीर चिल्ली, पनीर पकोड़ा आदि का विक्रय करते हुए पाये गये। मालिक एवं विक्रेता से वर्ष 2018 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने पेश किया एवं जीएसटी प्रमाण पत्र पेश किया। रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण करने पर एक फ्रिजर के खण्ड में **खाद्य पदार्थ लगभग 30 किलोग्राम पनीर** आम जनता को उपयोग हेतु तैयार सब्जी, पनीर पराण्डा पनीर चिल्ली, पनीर पकोड़ा आदि बनाने में उपयोग वास्ते विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस. एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह श्री रतनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह निवासी भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को उनके बताये गये बाजार भाव से रूपये 250/- नगद देकर **खाद्य पदार्थ पनीर 1 किलोग्राम** वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ पनीर 1 किलोग्राम** को साफ चाकू से क्रश कर हिला मिलाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की

20-20 बूंदे डाली अच्छी तरह हिलाया ओर एयर टाइट बंद किया। इन चारों भागों के लिए चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-1836** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-1836** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें गोलाई में गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-1836** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की तथा मौका फर्द पर स्वयं गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 19.07.2018 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम 1836** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/516/एक्ट/2018/535 दिनांक 26.07.2018 अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना मिल्क फेट की निर्धारित मानक 50.0 प्रतिशत के स्थान पर 36.39 होने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन, पदस्थापना आदेश कार्यक्षेत्र की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, एफएसएसए के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या 12217032000430, पहचान पत्र श्री भंवरसिंह, जीएसटी प्रमाण पत्र, नमूना संख्या एम-1836 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-1836 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 431-432, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/516/एक्ट/2018/535, न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 04.01.19 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण से संबंधित जवाब/बहस की जिसमें उन्होने बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ

पनीर की जांच रिपोर्ट में मिल्क फेट की मात्रा न्यूनतम 50% के स्थान पर 36.39% पायी गयी है इसमें अन्य किसी प्रकार की मिलावट नहीं पायी गयी है। फर्म के द्वारा पनीर का निर्माण नहीं किया जाता हे एवं अन्य स्थान से खरीदकर सीधे रूप से विक्रय नहीं कर सब्जियां बनाकर विक्रय किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गयी है एवं किसी भी प्रकार से असुरक्षित खाद्य पदार्थ नहीं है। अत: अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में परिवाद में कम से कम जुर्माना से दण्डित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थी पर शास्ति रूपये **2,000/- (अक्षरे रूपये दो हजार मात्र)** आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15.02.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 15.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर